संख्या:70/2023/201/35-4-2023

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 07 फरवरी, 2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

प्रदेश में कार्यान्वित त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश सं0 29/ 2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत किए गए हैं। प्रदेश में निवासित जनसामान्य की सुविधा एवं विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नई कार्यमद को सम्मिलित करते हुए कतिपय सशोधन किए गए हैं। अत: संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मार्गदर्शी सिद्धान्त में किया गया संशोधन सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2- त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश सं0:29/ 2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष व्यवस्था यथावत रहेगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:70/2023/201(1)/35-4-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या।
3- समस्त जिला एवं अर्थ संख्याधिकारी।
4- समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/प्रबन्ध निदेशक।
5- नियोजन विभाग तथा स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के समस्त अधिकारी।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0:70/2023/201/35-4-2023 दिनांक 07 फरवरी, 2023 का संलग्नक

मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का नाम	त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर 2018 की संशोधित व्यवस्था
3	योजना का आच्छादन	पूंजीगत कार्यों हेतु इंगित की गयी कार्यमदों के साथ ही निम्नलिखित कार्यमद भी आच्छादित होगी:- • सामुदायिक केन्द्र / कन्वेंशन सेंटर के भवन
13	प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व	• ग्रामीण जलापूर्ति के कार्यों एवं लघु सिंचाई के कार्यों हेतु नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रशासकीय विभाग होगा। • सामुदायिक केन्द्र एवं कन्वेंशन सेंटर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग प्रशासकीय विभाग होगा। • इस प्रस्तर के शेष कार्यों हेतु उनके सम्मुख इंगित प्रशासकीय विभाग यथावत रहेंगे। • प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य अपने विभागीय कार्यों की तरह ही किया जायेगा।
30	विकास कार्यों की अनुमन्यता	योजनान्तर्गत अनुमन्य विकास कार्यों के साथ ही सामुदायिक केन्द्र / कन्वेंशन सेंटर के भवन निर्माण कार्य भी अनुमन्य होंगे।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।